

**Annexure A.4.03**

**AGREEMENT FOR ERECTING AND MAINTAINING AN UNDERGROUND POWER LINE CROSSING ACROSS AND UNDER RAILWAY TRACKS.**

AN AGREEMENT made this .....day of .....two thousand and.....BETWEEN THE PRESIDENT OF INDIA acting through the Chief Electrical Engineer/Divisional Railway Manager / Divisional Railway Manager(Electrical) of the North Western Railway Administration (hereinafter called "the Railway") of the one part and..... (hereinafter referred to as "the owner" of the other part.

WHEREAS the owner wishes to lay an under ground cable and carry out the works connected herewith for transmission or distribution of electrical energy across and under the Railway tracks and/ or land at kilometrage.....in the section .....at .....Railway station, of the Railway, the said cable and works connected therewith hereinafter referred to as the "crossing."

NOW IT IS HEREBY AGREED AS follows:

**1. General** : The Railway will permit the owner as from the .....days of.....20.....to lay the crossings as per Drg. No. ....approved by the Railway, hereunto attached as Annexures and in compliance with Regulations for Power line crossings of Railway Tracks, hereunto attached as Annexures hereinafter referred to as the Regulations, for the purposes hereinbefore mentioned, subject to the terms and conditions hereinafter contained.

Signature of owner  
P.T.O

**2. Permission to lay and maintain the crossing** : The Railway, will, subject to the provisions of clause 3 hereinafter contained permit the owner to lay, keep and maintain in accordance with the regulations the crossing under the Railway tracks and / or land at the place(s) shown on the said drawing and to execute all repair in connection therewith when necessary from time to time and all such works shall be executed at the cost of the owner at such times as may be permitted and to the satisfaction of the Railway in all respects.

Provided that if shifting of or modifications to or dismantling of the crossing is required for the proper functioning of the Railway and is to be carried out by the owner as desired by the Railway, the costs of such works shall be borne by the Railway except in these cases where the need for such works on account of Railway's anticipated development/requirements was foreseen in time and the owner had agreed in writing prior to the construction of the crossing to meet the costs of such works.

**3. Railway to carry out protection works** : In the event of it being necessary in the opinion of the Railway to support or protect the Railway tracks and / or land or works during the laying of the crossing or the execution of any removal thereof the work of supporting or protecting the Railway tracks or land and/ or laying or removing the encasing protective pipe to carry the crossing cable and restoring the tracks and / or land to its original condition or such part of the said work as the Railway shall deem fit will be carried out by the Railway at the cost of the owner in all respects. The amount of such costs will be determined by the Railway in its absolute discretion and will be paid by the owner to the Railway On demand. The owner will, if so required, deposit with the Railway prior to the carrying out of the said work such sum of money as may be estimated by the Railway to be the cost of the work required to be done and the amount of the said deposit will be set off against the said cost to be determined as aforesaid and the balance paid as aforesaid.

**4. Method of laying** : The cable shall be laid as indicated in the said drawing and shall be carried through an encasing pipe in such manner that the cable can be laid, withdrawn and / or maintained without interfering with or endangering the Railway tracks and / or land. The Costs of providing and laying such encasing pipe for the crossing shall be borne by the owner as aforesaid.

**5. Cost of supervision of works**: All works in connection with the matters referred to in clauses 2,3,4,7 and 11 will be subject to such supervision by the Railway as may be considered necessary by the Railway and the owner will pay to the Railway on demand all cost of such supervision including the cost for the staff, required to look after the safety of the Railway tracks and / or land while all or any of such works are / work is in progress. The costs of such supervision and other costs as aforesaid shall be determined by the Railway in its absolute discretion.

**6. Access** : Neither the owner nor his employees will at any time enter upon the Railway land for any purpose whatsoever in connection with the crossing as aforesaid without the consent in writing of the Railway.

**7. Modification, shifting or removal of crossing** : If for convenience of operation, unsatisfactory maintenance or for any reason whatsoever the Railway desires special maintenance, repairs, modification, shifting or removal of the crossing the owner will, Subject to the provisions of clause 3 hereof carry out such works or such portion thereof from the date of notice issued by the Railway and to the satisfaction of the Railway within a reasonable period determined by the Railway in its absolute discretion as the Railway shall not under provision of clause 3 hereof proposed to carry out the work.

Signature of owner  
P.T.O

If the owner so desires he may re lay the same at his own expense but to the satisfaction of the Railway in all respects on such other land or track of the Railway as it may in its absolute discretion consider suitable and available for the purpose. In the event of the crossing being so re-erected the land on which the same is re-erected will be used and occupied upon the terms of the Agreement mutatis mutandis, as if the same has originally been subject to this Agreement.

**8. Termination of Agreement** : The Railway may at any time (and from time to time) be at liberty in its absolute discretion to suspend temporarily and / or terminate this Agreement and all or any of the privileges hereby granted upon the expiration of three month "s notice in writing of its intention to do so being left at or sent to the registered office of the owner and notwithstanding that the owner may have executed any work of a permanent or temporary character and incurred expenses in the execution thereof. The owner shall not be entitled to any damages or compensation by the reason of such termination or suspension.

9. Same as otherwise provided in this contract, all notices to be given on behalf of the president of India and all other actions to be taken on his behalf may be given or taken on his behalf by the Chief Electrical Engineer/Divisional Railway Manager / Divisional Railway Manager(Electrical) of the Railway or left at his office.

**10. Termination of Agreement by the owner** : The owner may on giving to the Railway one month"s notice in writing terminate this Agreement and such notice shall be sufficiently served if sent by registered post to the Chief Electrical Engineer/Divisional Railway Manager / Divisional Railway Manager(Electrical) of the Railway or left at his office.

**11. Termination of Agreement for default** : In the event of the Railway giving notice under clause 7 hereof for special maintenance, repair, modification, shifting or removal of the crossing and the owner failing within the time stipulated to carry out the said works except such portion thereof as the Railway may propose to carry out under the provisions of clause 3 hereof or in the event of the owner committing any other breach of this Agreement or any part thereof, the Railway shall be entitled in its absolute discretion (notwithstanding the provisions of clause 8 hereof) to terminate this Agreement and all and any of the privileges hereby granted upon the expiration of six month"s notice in writing of its intentions so to do being given in the manner provided by clause 7.

**12. Removal of crossing**: Prior to the termination of this Agreement and subject to the provisions of clause 3 hereof the owner shall at his own cost remove the crossing from the property of the Railway and shall restore the land to its original condition to the satisfaction of the Railway in all respects. In the event of the owner failing to remove the said crossing and restore the land to its original condition in manner here in before provided the Railway will be entitled at its option immediately after the termination of this Agreement to carry out the such work of removal of the crossing and restoration of the land without being responsible for any loss or damage what so ever to the said crossing or any part thereof. In such an event the owner will pay to the Railway on demand all costs incurred by the Railway in connection with such work determined by the Railway in its absolute discretion. The said crossing and the materials used in connection there with and belonging to the owner will be and remain the property of the owner but the Railway will be entitled to retain the same but without any liability therefore until the amount of such costs as aforesaid have been paid by the owner to the Railway.

Signature of owner  
P.T.O

**13. Indemnity:** The said crossing will be used at the sole risk and responsibility of the owner. If at any time Owing directly or indirectly to such use or to the existence of the said crossing or to the carrying Out of the work of erection and / or repair and / or removal of the said crossing and restoring the land to its original condition or to the exercise by the owner of any privileges hereby granted or to any other cause arising out of the operation of this Agreement any damage Will be caused to the Railway or to the permanent way and works, Rolling stock or any other Property of the Railway or if in consequence of any of the matters -aforesaid or of any default In fulfilling any of the conditions of this Agreement or of any negligence on the part of the owner or any person connected with him, any claim or damage or loss be substantiated by Any person or persons against the Railway, the owner will upon demand pay forthwith and make good the same and shall also make good to the Railway all costs and expenses which It may incur in regard to any such claim or damage or loss as aforesaid. In the event of there being any dispute as to what specific loss and / or damage has been caused by reason of any of the matters aforesaid such dispute will be preferred to the Chief Electrical Engineer of the Railway, whose decision thereon shall be final and binding.

**14. Railway Accidents :** The Railway shall not be responsible for any damage to the crossing and other property of the owner due to an accident in the working of the Railway due to any cause whatsoever.

**15. Sub-letting :** The owner will not sub- let, transfer or assign this Agreement or any of the privileges hereby Granted without the previous consent in writing of the Railway.

**16. Limitation of rights:** Nothing here in contained will be construed as conferring upon the owner or his permitted assignee any rights over the property of the Railway.

**17. Cost of Agreement :** All the costs and expenses incidental to the preparation and completion of these presents including Stamp duty will be borne and paid by the owner.

**18.** If at the instance of the Railway, the crossing is to be shifted or modified or dismantled, the work shall be carried out by the owner at the cost of the Railway. However, in those cases where the need for such works on account of Railway"s anticipated developments / requirements was foreseen in time and the owner had agreed in writing prior to the construction of the crossing to meet the cost of such works. Such works shall be carried out on a priority basis by the owner within a fixed schedule, as mutually agreed upon between the owner and the Railway and to the satisfaction of the electrical inspector. The Railway shall have the right to claim compensation for any loss and/or inconvenience caused if there is avoidable delay in completing the works.

In witness where of the parties have here unto set and subscribed their respective hands and Seals the days, month and years respectively mentioned against their respective signatures.

(Seal of the Owner)

(Signature)

Signed at .....by Shri .....For and on  
Behalf of the owner in the presence of:

1. Name:

(Signature of witness)

Address:

2. Name:

(Signature of witness)

Address:

Signed at .....by Shri .....For and on  
Behalf of the President of India in the presence of:

1. Name: (Signature of witness)

Address:

2. Name:

Address: (Signature of witness)

Note. 1. In the case of Railway companies or Port commissioner"s Railways, the term Chief Electrical Engineer wherever occurring in this Agreement may replaced by designation of the officer on whom the duties of the Chief Electrical Engineer devolve.

2. The agreement should be signed by and on behalf of the President of India by an officer duly authorized under Article 299(1) of the Constitution of India.

\*\*\*\*\*

### अनुबन्ध ए .4.03

## **रेलपथों के आर-पार और नीचे भूमिगत विद्युत लाइन क्रॉसिंग के परिनिर्माण तथा अनुरक्षण के लिए करार :-**

यह करार एक पक्षकार के रूप में..... रेल प्रशासन ने मुख्य बिजली इंजीनियर / मण्डल रेल प्रबंधक /मण्डल रेल प्रबंधक (विद्युत ) के माध्यम से कार्यरत भारत के राष्ट्रपति ( जिन्हें इसमें आगे “रेल” कहा गया है ) और दूसरे पक्षकार के रूप में..... ( जिन्हें इसके बाद इसमें आगे “स्वामी” कहा गया है ) के बीच आज तारीख .....को किया गया। स्वामी .....रेलवे के .....रेल स्टेशन पर ..... खण्ड में..... कि.मी. दूरी पर रेलपथों और / या भूमि के आर -पार और नीचे बिद्युत उर्जा के सम्प्रेषण या वितरण के लिए भूमिगत केबिल बिछाना चाहता है और उससे सम्बंधित निर्माण कार्य करना चाहता है, उक्त केबिल और उससे सम्बंधित निर्माण कार्यों को इसमें आगे “क्रॉसिंग” कहा गया है अब इसके द्वारा निम्नलिखित करार किया जाता है:-

स्वामी के हस्ताक्षर

कृ.प.उ.

1. **साधारण:-** रेल स्वामी को इसमें पहले उल्लिखित प्रयोजनों के लिए तारीख .....से रेल द्वारा अनुमोदित रेखाचित्र सं। ..... जो इसके साथ अनुबंध के रूप में संलग्न है, के अनुसार और रेल पथों की विद्युत लाइन क्रासिंगों के लिए विनियमों के अनुपालन में इसके साथ अनुबंध के रूप में संलग्न है और जिन्हे इसमें आगे “विनियम” कहा गया है के अनुपालन में और इसमें आगे अंतर्विष्ट निबंधनों और शर्तों के अधीन क्रासिंग बिछाने की अनुज्ञा देगा।

2. **क्रासिंग का परिनिर्माण और उसका अनुरक्षण करने की अनुज्ञा** : रेल इसमें आगे अंतर्विष्ट, खण्ड 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए स्वामी को विनियमों के अनुसार रेलपथ और / या भूमि के नीचे उक्त रेखाचित्र में दर्शित स्थानों पर क्रासिंग बिछाने, रखने और उसका अनुरक्षण करने तथा उसके सम्बंध में ऐसी सभी मरम्मतें करने की जो समय समय पर आवश्यक हों, अनुज्ञा देगी और ऐसे सभी कार्य स्वामी की लागत पर और ऐसे समय पर किए जाएंगे जो अनुज्ञात किया जाए, और हर प्रकार से रेल को समाधानप्रद रूप में निष्पादित किए जाएंगे। परन्तु यदि रेल के समुचित संचालन के लिए क्रासिंग को स्थानांतरित करना या उसमें आशोधन करना या उसे हटाना आवश्यक हो और रेल की इच्छानुसार यह कार्य स्वामी द्वारा कराया जाना हो तो ऐसे कार्यों की लागत रेल द्वारा वहन की जायेगी केवल उन मामलों को छोड़कर जिन मामलों में रेलवे के प्रत्याशित विकास प्रगति के कारण ऐसे कार्यों की आवश्यकता का पहले से ही अनुमान हो गया हो और स्वामी ने क्रासिंग के निर्माण से पहले लिखित रूप में इन कार्यों की लागत वहन करने की सम्मति दे दी हो।

3. **रेल द्वारा संरक्षण कार्यों का किया जाना** : क्रासिंग के बिछाए जाने या उसे हटाये जाने के दौरान यदि रेल की राय में रेल पथों और /या भूमि या निर्माण कार्यों को आलम्ब लगाना या संरक्षण देना आवश्यक हो जाता है तो उस स्थिति में रेलपथों या भूमि को आलम्ब लगाने या उसका संरक्षण करने और या क्रासिंग के लिए ले जाने के लिए आवरित करने वाले संरक्षी पाइप बिछाने या हटाने और रेलपथों और / या भूमि को या उक्त निर्माण कार्य के ऐसे भाग को, जो रेलवे द्वारा ठीक समझा जाए, उसकी पूर्ववत स्थिति में लाने से सम्बंधित कार्य रेल द्वारा सभी दृष्टियों से स्वामी की लागत पर किया जायेगा और ऐसी लागत की रकम का अवधारण रेलवे द्वारा उसके पूर्ण विवेक से किया जायेगा और रेल की मांग पर उसका संदाय स्वामी द्वारा किया जायेगा। यदि ऐसी अपेक्षा की जाए तो स्वामी रेल के पास उक्त निर्माण कार्य करने के पूर्व ऐसी राशि जमा करेगा, जो किए जाने के लिए अपेक्षित निर्माण कार्य की लागत के रूप में रेल द्वारा प्राक्कलित की जाए और यथा पूर्वोक्त अवधारित की जाने वाली उक्त लागत के सम्बंध में उक्त निक्षेप की रकम का मुजरा किया जायेगा और शेष रकम का संदाय यथा पूर्वोक्त किया जाएगा।

4. **बिछाने की पद्धति** : केबिल को उक्त रेखाचित्र में दर्शित रूप से बिछाया जायेगा और आवरित करने वाले पाइप के माध्यम से ऐसी रीति से ले जाया जायेगा कि केबिल को रेलपथों और/ या भूमि में बाधा डाले बिना या खतरे में डाले बिना बिछाया जा सके, हटाया जा सके या उसका अनुरक्षण किया जा सके. क्रासिंग के लिए ऐसी आवरित करने वाली पाइप की व्यवस्था करने और बिछाने की लागत पूर्वोक्तानुसार स्वामी द्वारा वहन की जाएगी।

स्वामी के हस्ताक्षर

कृ.प.उ.

**5. निर्माण कार्यों के पर्यवेक्षण की लागत :** खण्ड 2,3,4,7,और 11 में निर्दिष्ट मामलों के सम्बंध में सभी निर्माण कार्यों का रेल द्वारा इस प्रकार पर्यवेक्षण किया जायेगा जैसा रेल आवश्यक समझे और स्वामी रेल द्वारा मांग किये जाने पर रेल के ऐसे पर्यवेक्षण की सारी लागत को और ऐसे सभी या किसी निर्माण कार्य की प्रगति के दौरान रेलपथों और या / भूमि की संरक्षा की देखभाल करने के लिए अपेक्षित कर्मचारियों की लागत का भी संदाय करेगा। ऐसे पर्यवेक्षण की लागतों और यथा पूर्वोक्त अन्य लागतों का अवधारण रेल द्वारा उसके पूर्ण विवेकानुसार किया जाएगा।

**6. पहुंच :** स्वामी या उसके कर्मचारी किसी भी समय रेल भूमि पर रेल की लिखित सम्मति के बिना यथा पूर्वोक्त क्रासिंग के सम्बंध में किसी भी प्रयोजन के लिए प्रवेश नहीं करेगा।

**7. क्रासिंग में आशोधन, स्थानान्तरण करना या उसे हटाना :** यदि रेल परिचालन की सुविधा के लिए, असमाधानप्रद अनुरक्षण के कारण या किसी भी अन्य कारण से रेलवे क्रासिंग के विशेष अनुरक्षण मरम्मत, परिवर्तन, स्थानान्तरण या उसे हटाने की इच्छा करती है तो स्वामी इसके खण्ड 3 के उपबंधों के अधीन हुए ऐसे निर्माण कार्य या उनके भाग का रेलवे द्वारा जारी सूचना की तारीख से निष्पादन करेगा और रेल द्वारा उसके पूर्ण विवेकानुसार अवधारित उचित समय के भीतर रेल को समाधानप्रद रूप में निष्पादित करेगा, क्योंकि इसके खण्ड 3 के उपबंधों के अधीन यह कार्य रेल द्वारा नहीं किया जाना है। यदि स्वामी ऐसी बांछ करता है तो वह रेल ऐसी अन्य भूमि या रेल पथ जिसे रेल अपने पूर्ण विवेकानुसार उपयुक्त समझे और जो उक्त प्रयोजनार्थ उपलब्ध हो पर अपने खर्चों से उसका पुनः परिनिर्माण कर सकता है लेकिन हर प्रकार से रेल को समाधानप्रद रूप में क्रासिंग का इस प्रकार पुनः परिनिर्माण कराये, जाने की स्थिति में वह भूमि जिस पर उसका पुनः परिनिर्माण कराया गया है, इस करार के निबंधनों के अधीन उनके यथोचित परिवर्तनों सहित ऐसे उपयोग और अधिभोग में लायी जायेगी, मानो वह मूल रूप से करार के अधीन रही हो।

**8. रेल द्वारा करार का पर्यवसान :** रेल को किसी भी समय (और समय समय पर ) अपने पूर्ण विवेक से इस की स्वतंत्रता होगी की वह इस करार और इसके द्वारा पदत्त सभी या किसी विशेषाधिकार को अस्थायी रूप से निलंबित करने और / या पर्यवसित करने की अपने आशय की तीन माह की लिखित सूचना स्वामी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में छोड़कर या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजकर सूचना की अवधि की समाप्ति के बाद इस बात के होते हुए भी कि स्वामी ने स्थायी या अस्थायी स्वरूप का कोई निर्माण कार्य किया है और उसके लिए खर्च किया है, इस करार को अस्थायी रूप से निलंबित और पर्यवसित कर दे। स्वामी ऐसे पर्यवसान या निलंबन के कारण किसी नुकसान या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

**9.** इस संविदा में अन्यथा उपबंधित की भांति, भारत के राष्ट्रपति की ओर से दी जाने वाली सभी सूचनाएं और उनकी ओर से की जाने वाली सभी अन्य कार्यवाहियां उनकी ओर से मुख्य विद्युत इंजीनियर / मण्डल रेल प्रबंधक ( विद्युत ) द्वारा दी और की जायेगी।

**10. स्वामी द्वारा करार का पर्यवसान :** स्वामी रेलवे को इस करार का पर्यवसान करने की एक मास की लिखित सूचना देकर उसे पर्यवसित कर सकेगा और ऐसी सूचना की पर्याप्त रूप से तामील की गयी समझी जायेगी, यदि उसे रेलवे के मुख्य विद्युत इंजीनियर / मण्डल रेल प्रबंधक / मण्डल रेल प्रबंधक ( विद्युत ) को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेज दिया जाता है या उसके कार्यालय में छोड़ दिया जाता है।

स्वामी के हस्ताक्षर

कृ.प.उ.



**11. व्यक्तिक्रम के लिए करार का पर्यवसान :** रेल द्वारा क्रासिंग के विशेष अनुरक्षण मरम्मत,आशोधन, स्थानान्तरण या उसे हटाने के लिए इसके खण्ड 7 के अधीन सूचना दिए जाने की स्थिति में और स्वामी द्वारा उक्त निर्माण कार्यों को उनके ऐसे भाग को छोड़ कर जिसके बारे में रेलवे उसके खण्ड 3के उपबंधों के अधीन निष्पादन करने का प्रस्ताव करे, अनुबंध समय के भीतर निष्पादित करने में असफल रहने की स्थिति में या स्वामी द्वारा इस करार या इसके किसी भाग को भंग करने की स्थिति में रेल को अपने पूर्व विवेक से (इसके खण्ड 8 के उपबंधों के बावजूद ) इस बात का हक होगा कि वह इस करार और इसके द्वारा प्रदत्त सभी या किसी विशेषाधिकार को पर्यवसित करने की अपने आशय की खण्ड में उपबंधित रीति से दी गयी 6 मास की लिखित सूचना की समाप्ति पर इस करार को पर्यवसित कर दे।

**12. क्रासिंग को हटाना :** इस करार के पर्यवसान से पूर्व और इसके खण्ड के उपबंधों के अधीन स्वामी अपनी लागत पर रेल की सम्पत्ति से क्रासिंग को हटाएगा और उस भूमि का सभी दृष्टियों से रेल को समाधानप्रद रूप में उसकी पूर्ववत स्थिति में प्रत्यावर्तित करेगा। उक्त क्रासिंग को हटाने में तथा उस भूमि को इसमें इससे पहले उपबंधित रीति से भूमि को उसकी पूर्ववत स्थिति में प्रत्यावर्तित करने में असफल रहने की स्थिति में रेल को, उक्त क्रासिंग या उसके किसी भाग को पहुंचने वाली किसी हानि या नुकसानी के लिए उत्तरदायी हुए बिना स्वविवेक से इस करार के पर्यवसान के तुरन्त पश्चात क्रासिंग को हटाने का और भूमि के प्रत्यावर्तन का कार्य करने का हक होगा। ऐसी स्थिति में स्वामी माँग किए जाने पर रेल को ऐसे कार्यों के सम्बंध में रेल द्वारा उपगत सभी लागतों का तथा पर्यवेक्षण प्रभारों का (यह रकम रेल द्वारा उसके पूर्ण विवेक से निर्धारित की जायेगी) का संदाय करेगा। उक्त क्रासिंग और उसके सम्बंध में उपयोग की गई और स्वामी की सामग्री स्वामी की सम्पत्ति होगी और रहेगी। परन्तु स्वामी द्वारा रेलवे को पूर्वोक्त ऐसी लागतों की रकम का संदाय किए जाने तक रेल उक्त सम्पत्ति को उसके लिए प्रतिधारित किए रहेगी परन्तु ऐसा वह किसी दायित्व के बिना करेगी।

**13. क्षतिपूर्ति :** उक्त क्रासिंग का उपयोग स्वामी के एकमात्र जोखिम और उत्तरदायित्व पर किया जायेगा। यदि किसी समय प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः ऐसे उपयोग के कारण या उक्त क्रासिंग की वहां विद्यमानता या उक्त क्रासिंग के परिनिर्माण और या मरम्मत और या उसे हटाने के कार्य का निष्पादन करने और भूमि को उसकी पूर्ववत स्थिति में प्रत्यावर्तित करने या स्वामी द्वारा इसके द्वारा प्रदत्त किसी विशेषाधिकार का उपयोग करने के कारण अथवा इस करार के प्रवर्तन से उदभूत किसी अन्य कारण से रेल को या रेलपथ तथा निर्माण कार्य का चलस्यक या रेल की किसी अन्य सम्पत्ति को कोई नुकसान पहुंचता हो या पूर्वोक्त किसी भी विषय या इस करार की शर्तों का पालन करने में किसी व्यक्तिक्रम या स्वामी की ओर से अथवा उससे सम्बंधित किसी व्यक्ति की ओर से कि गयी किसी उपेक्षा के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा रेल के सम्बंध में कोई दावा या नुकसान या हानि सिद्ध हो जाती है तो स्वामी माँग किए जाने पर तत्काल उसका संदाय करेगा और उसे चुकाएगा और रेल के उन सभी खर्चों और लागतों को भी चुकाएगा, जो वह यथा पूर्वोक्त किसी ऐसे दावे या नुकसान या हानि की बाबत उपगत करे। इस सम्बंध में कि पूर्वोक्त किसी भी मामले के कारण कौन सी विनिर्दिष्ट हानि और / या नुकसानी हुई है, कोई विवाद होने की स्थिति में उसे रेल के मुख्य विद्युत इंजीनियर को भेजा जाएगा, जिसका विनिश्चय इस सम्बंध में अंतिम और आबद्ध कर होगा

स्वामी के हस्ताक्षर

कृ.प.उ.

14. **रेल दुर्घटनाएं** : रेलवे, रेल पर संचालन के दौरान किसी भी कारण से कोई दुर्घटना होने से क्रासिंग को और स्वामी की अन्य सम्पत्ति को हुई किसी नुकसानी के लिए रेल उत्तरदायी नहीं होगी ।
15. **उप पट्टे पर देना** : स्वामी, रेल की लिखित पूर्व सम्मति के बिना इस करार को या इसके द्वारा प्रदत्त किसी विशेषाधिकार को उप-पट्टे पर नहीं देगा, उसका अंतरण या समनुदेशन नहीं करेगा ।
16. **अधिकारो की परिसीमा** : इसमें अन्तर्विष्ट किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह स्वामी या उसमें अनुमत समनुदेशितों को रेल की सम्पत्ति पर कोई अधिकार प्रदान करती है ।
17. **करार की लागत** : इस विलेख को तैयार करने और पूर्ण करने की सभी लागतों और अनुषंगिक व्यय का स्टाम्प शुल्क सहित स्वामी द्वारा वहन और संदाय किया जाएगा । इसके साक्ष्य - स्वरूप इसके पक्षकारों ने क्रमशः ऊपर उल्लिखित तारीखों को अपने अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं और मुद्रा लगा दी है ।
18. **पैरा 9.5** : यदि रेलवे के अनुरोध पर क्रासिंग को स्थानांतरित या उसमें परिवर्तन करना या निकालना हो तो यह कार्य रेलवे के खर्च पर स्वामी द्वारा किया जायेगा । तथापि उन मामलों में जहां रेलवे द्वारा अपने प्रत्याशित विकास / अपेक्षाओं के कारण ऐसे कार्यों की आवश्यकता का पहले से अनुमान लगा लिया गया था और स्वामी ने क्रासिंग के निर्माण से पहले लिखित रूप में ऐसे कार्यों की लागत वहन करने के लिये स्वीकृति दे दी थी तो एक से कार्य स्वामी और रेलवे के बीच हुए पारस्परिक करार के अनुसार स्वामी द्वारा प्राथमिकता के आधार पर विद्युत निरीक्षक को समाधानप्रद रूप में एक निश्चित अवधि के भीतर किये जायेंगे। कार्यों को पूरा करने में हुए परिहार्य विलम्ब के कारण हुए किसी हानी / असुविधा के लिए रेलवे को क्षतिपूर्ति का दावा करने का अधिकार होगा ।

(स्वामी की मुद्रा)

(हस्ताक्षर)

निम्नलिखित की उपस्थिति मे स्वामी के लिए और उसकी ओर से श्री .....ने करार पर हस्ताक्षर किए :-

1.नाम .....

पता ..... (साक्षी के हस्ताक्षर )

2.नाम .....

पता ..... (साक्षी के हस्ताक्षर )

निम्नलिखित की उपस्थिति मे भारत के राष्ट्रपति के लिए और उसकी ओर से श्री .....ने करार पर हस्ताक्षर किए ।

1.नाम .....

पता ..... (साक्षी के हस्ताक्षर )

2.नाम .....

पता ..... (साक्षी के हस्ताक्षर )

- टिप्पणी :
1. रेल कम्पनियों या रेलवे पत्तन आयुक्तों की स्थिति मे जहां कहीं भी इस करार मे मुख्य विद्युत इंजीनियर पद पर आए तो उसे उस अधिकारी के पदाभिदान द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा जिसे मुख्य विद्युत इंजीनियर के कर्तव्य सौपे जाते है ।
  2. इस करार को भारत के राष्ट्रपति द्वारा और उनकी ओर से भारत के संविधान के अनुच्छेद 299(1) के अधीन सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए ।

\*\*\*\*\*

**DATA, DESIGNS, CALCULATIONS AND DRAWINGS**  
**CROSSING OF RAILWAY TRACK UNDER GROUND CABLE**

a) 1.	<b>Data and designs</b> :- Location of the crossing, its distance from the nearest Railway station and the distance from The telegraph posts on either sides of the crossing, including number marked on the Telegraphic posts.	Between Rly stn. - Distance Right side - Distance Left side - Location of proposed Crossing T.P No. – No. of the Traction mast - NA
2.	Supply system particulars, particulars of cables their number, size and number of cores, voltage, type of insulation, Armouring etc.	A/C or D/C – Particular of cable – No. of cable – Size of cable – No. of core – Supply voltage – Type of insulation – Armoured or Sheathing – Frequency –
3.	Full particulars of the protective pipe for the crossing.	Spun concrete pipe – Cast Iron -
4.	Method of Earthing of the cable Armouring and sheathing. If any.	Armouring – Sheathing – Any other method -
5.	Method of marking the cable crossing for identification	Cable marker
6.	Details of cable below ground level with Railway boundary and under the Railway track.	Rail level – Formation level - Ground level -
7.	Design calculation for mast/structures for supporting and terminating cable(s) and drawings to show that the mast /structures would not foul the railway track(s) in the event of their failure in so far as movement or Railway vehicle is concerned.	Type of terminating structure (i) PCC 'H' pole : (ii) IBST 'H' pole : (iii) Lattice Tower : (iv) Any other :
8	Depth of cable i) below Rail Level ii) below Formation Level iii) below Ground Level	
9	Cable laying as per IS : 1255 – 1983 or Latest	
10.	2 Nos. separate and distinct independent earth on each crossing structure	
11	Height of the Structure    i) Left side ii) Right side	
12	Distance from Rly boundary to structure – i) Left side ii) Right side	

13	i) Type of Earthing ii) Value of earthing resistance	
<b>b)</b> 1.	<b>Drawings: -</b> Layout and site plan including route, location of structures. If any for supporting and terminating the cables and Railways boundaries. Note:- Earths in the vicinity (upto 100m all round) of the crossing shall be distinctly indicated.	
2	Drawing showing cable/crossing marker.	
	Note:- i) All drawings shall be in standard sizes as prescribed in the latest edition of IS:696-1972 "Code of practice for general Engineering Drawings". ii) All drawings are to be endorsed with a certificate as given below: "I hereby certify that the details of the equipment provided are designed with the object of minimizing danger in the event of breakage / fault and in accordance with recognized modern Engineering Practice". And signed by the owner.	

Signature by owner

\*\*\*\*\*